न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 48/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
आनन्दसिंह पुत्र कैलाशसिंह जाति चारण निवासी ग्राम खेण तहसील मूण्डवा जिला नागौर		1. सरकार जरिये रामावतार पूनिया निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर औपचारिक अप्रार्थी पक्षकार– 2. राजमल काला पुत्र अर्जुनराम काला जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी हनुमानबाग कॉलोनी नागौर 3. नरपत पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी ईनाणा तहसील मूण्डवा जिला नागौर 4. रामाकिशन पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी खुड़खुड़ा तहसील मूण्डवा जिला नागौर 5. जुगलकिशोर शर्मा पुत्र माधुलाल जाति ब्राहमण निवासी मूण्डवा तहसील मूण्डवा जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री दिनेश हेडा।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा।

निर्णय दिनांक – 05/03/2020

1– प्रार्थी द्वारा रसद मामला संख्या–15/2018 सरकार बनाम आनन्दसिंह वगैरह में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 के विरूद्ध यह पुनर्वलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत दिनांक 05.08.2019 को पेश किया है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2–प्रकरण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा एक आवेदन अधीन धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर घरेलू रसोई गैस के मैसर्स सन्तया गैस ऐजेन्सी मूण्डवा द्वारा दी जा रही गैस सप्लाई के सिलेण्डरों में निर्धारित मात्रा में कम गैस देने बाबत जॉच के दौरान सीज किये गये 74 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं गाड़ी नम्बर आर जे 21 जीबी 8080 टाटा 407 को सम्पहरित (Confiscate)कर राजसात करने का निवेदन किया। उक्त आवेदन के संबंध में प्रार्थी आनन्दसिंह के द्वारा जबाबस प्रस्तुत कर मैसर्स संत्या गैस एजेन्सी द्वारा कभी किसी उपभोक्ता को कम तोल का सिलेण्डर नहीं दिया एवं किसी भी सिलेण्डर की कोई सील तोड़कर नहीं दी गई। अप्रार्थीगण फर्म के यहा बोटलिंग प्लांट से जो गैस सिलेण्डर प्राप्त होते है, उनमें से त्रुटिपूर्ण सिलेण्डर को हटाकर सही सिलेण्डर उपभोक्ताओं को सुपुर्द किये जाते है। मौके पर किसी भी सिलेण्डर की सील टूटी हुई मिली और सील को जब्त किया गया हो, ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है और न ही मौके पर से गैस निकालने का कोई उपकरण बांसुरी आदि मिला है। प्रवर्तन निरीक्षक मुरारीलाल के द्वारा दिनांक 21.01.2018 को गैस सिलेण्डर का जिस प्रकार वजन करना बताया गया है वस्तुतः इस प्रकार तोल की कार्यवाही मौके पर निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को बुलाया जाकर गैस सिलेण्डरों का तोल मानक बाट व माप अधिनियम 1976 की धारा 28(7) के प्रावधानों के तहत किया जाना आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा न्यायालय हाजा में धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही पुलिस थाना भावण्डा में धारा 3/7 ईसी एक्ट

के अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.10.2018 को दर्ज करवाई गई है तथा अप्रार्थीगण ने आवेदन खारिज करने का न्यायालय हाजा से निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर आदेश जैर आवेदन पारित किया है, उक्त निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा यह निष्कर्ष पैरा संख्या 6 में दिया गया कि अप्रार्थी का कथ है कि पुलिस थाना भावण्डा में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अदम वकू (तथ्य की भूल) में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जा चुकी है। इस संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में न्यायालय द्वारा एफआर स्वीकृत करने के संबंध में कोई तथ्य वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस आधार पर मैसर्स संत्या गैस ऐजेन्सी मूण्डवा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों में से गैस निकालकर दुरूपयोग करने का निष्कर्ष न्यायालय हाजा द्वारा दिया गया जिसके संबंध में प्रार्थ द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2(1)– न्यायालय हाजा द्वारा पुलिस थाना भावण्डा में दर्ज प्राथमिकी में बाद अनुसंधान अंतिम रिपोर्ट अदमवकूल (तथ्य की भूल) संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत होने एवं उक्त अंतिम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी एवं उक्त अंतिम रिपोर्ट की जानकारी स्वंय प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक को रहती चली आई है एवं उक्त निर्णय पारित होने से पूर्व उक्त अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचाराधीन थी। इस कारण उक्त अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत होस जाने के तथ्य प्रार्थी आनन्दसिंह के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सके और सम्यक तत्परता के पश्चात भी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करना संभव नहीं था। उक्त आदेश जैर पुनर्विलोकन आदेश दिनांकित 01.07.2019 के बाद में दिनांक 13.07.2019 को उक्त अंतिम रिपोर्ट संबंधित न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। उक्त एफआर के स्वीकृत होने का आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के समय पारित नहीं होने से प्रार्थी आनन्दसिंह के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका और अब उक्त एफआर के स्वीकृत होने के नये एवं महत्वपूर्ण एवं साक्ष्य के पता चलने के बाद प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा रसद मामला संख्या 15/2018 सरकार बनाम आनन्दसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 को पुनर्विलोकित करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3– श्री राजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस में वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि सरकार जरिये रामावतार पूनियां प्रर्वतन निरीक्षक (अभियेाजन) जिला रसद कार्यालय नागौर के द्वारा न्यायालय हाजा में एक आवेदन धारा 6 आवश्यक वस्तुत अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018 दर्ज कर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर दिनांक 01.07.2019 को निर्णय पारित कर प्रकरण में 74 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस तथा वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे. 21 जीबी 8080 टाटा 407 को सम्पहरण (Confiscate)करने के आदेश दिये गये थे। आदेश जैर पुनर्विलोकन विधिसम्मत होने का करते हुऐ प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

4– वकील श्री योगश शर्मा ने अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

5– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पूर्व में सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर द्वारा हस्तगत प्रकरण के प्रार्थी आनन्दसिंह व अन्य के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अर्न्तगत घरेलू रसोई गैस के मैसर्स सन्त्या गैस एजेन्सी मूण्डवा द्वारा दी जा रही गैस सप्लाई के सिलेण्डरों में निर्धारित मात्र से कम गैस देने बाबत की गई जांच के दौरान सीज किये गये 74 धरेलू गैस सिलेण्डर एवं गाड़ी नं. आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 को सम्पहरित (Confiscate) कर राज सात करने के आदेश बाबत दिनांक 24.01.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर रसद मामला संख्या 15/2018 सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक बनाम आनन्दसिंह वगैरह दर्ज कर प्रकरण में सुनवाई का दिनांक 01.07.2019 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया था :– *"प्रार्थी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही दिनांक 21.01.2018 सही प्रतीत होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम*

1955 की धारा 6 ए के तहत मैसर्स सन्तया गैस सर्विस (इंडेन) मूण्डवा के 74 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस जब्त कर सुपुर्दगीनामा दिनांक 21.01.2018 से नागौर गैस सर्विस को सुपुर्द किये गये 74 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस तथा वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 को सम्पहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जब्तशुदा 74 घरेलू सिलेण्डरो मय गैस के सम्बधित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने तथा उक्त 74 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं गैस की कीमत के बराबर अप्रार्थी संख्या–1 व 2 से संयुक्त रूप जुर्माना वसूल किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस निर्णय की दिनांक से एक माह की कालावधि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर जब्तशुदा वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 को छोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। यदि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा उक्त नियत एक माह की कालावधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाये जाने पर उक्त जप्तशुदा वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 की खुली नीलामी की जाकर जुर्माना राशि वसूल किये जाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती हैं तथा पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश की प्रति भिजवाई जावे।"

5(1)–उक्त प्रकरण रसद मामला संख्या–15/2018 सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक बनाम आनन्दसिंह वगैरह में दौराने सुनवाई बहस में कथन किया था कि हस्तगत प्रकरण में श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा न्यायालय हाजा में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही पुलिस थाना भावण्डा में धारा 3/7 ई.सी. एक्ट के अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.01.2018 को दर्ज करवाई गई है। पुलिस थाना भावण्डा में दर्ज करवाई गई उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अदम वकू (तथ्य की भूल) में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जा चुकी है, जिस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया था, परन्तु तत्समय उक्त संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में न्यायालय द्वारा एफ.आर. स्वीकृत करने के संबंध में कोई तथ्य वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर उक्त प्रकरण रसद मामला संख्या 15/2018 में दिनांक 01.07.2019 को उक्तानुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया गया है। वकील प्रार्थी ने हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रकरण में अब उक्तानुसार पुलिस थाना भावण्डा में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07 दिनांक 24.01.2018 एफ.आर. संख्या 15 दिनांक 12.09.2018 की प्रमाणित प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। पुलिस थाना भावण्डा द्वारा उक्त एफ.आर. अदम वकू (तथ्य की भूल) में न्यायालय में पेश की गई, जिस पर न्यायालय के प्रकरण संख्या 113/2019 अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या–02 व सदस्यों द्वारा दिनांक 13.07.2019 को परिवादी उपस्थित नहीं होने पर एफ.आर. को स्वीकार किया है। चूँकि प्रार्थी सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण रसद मामला संख्या 15/2018 के तथ्यों के आधार पर ही पुलिस थाना भावण्डा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अदम वकू (तथ्य की भूल) में एफ.आर. न्यायालय में पेश की गई, जो एफ.आर. उपर्युक्तानुसार दिनांक 13.07.2019 के अनुसार स्वीकार भी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

6–अतः उपर्युक्त विचेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। रसद मामला संख्या–15/2018 सरकार जरिये रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक बनाम आनन्दसिंह वगैरह में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 को संशोधित करते हुए जब्त शुदा जब्तशुदा 74 घरेलू सिलेण्डरो मय गैस वाहन गाड़ी नम्बर आर.जे.21 जी.बी. 8080 टाटा 407 को मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

7–आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: